मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर

1- बी०एन०लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र- 70/2013 सेवा में,

दिनाँक:लखनऊ:दिसम्बर /2 2013

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।

विषय: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,366 जैसे महत्वपूर्ण अभियोगों में विवेचना अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए विवेचना में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

क्पया उपर्युक्त विषयक श्री अखिलेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्राँक-कि0मि0/12201/इलाहाबाद दिनाँक 9-12-2013(छायाप्रति मय अनुलग्नकों सहित संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

- 2- शासकीय अधिवक्ता संदर्भित पत्र के माध्यम से संज्ञानित कराया है कि सामान्यत: मा0 उच्च न्यायालय में बहस के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 जैसे महत्वपूर्ण अभियोगों की विवेचना के मामलों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को नजरंदाज करके विवेचकों द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-
 - (1)न्यायालय द्वारा पीड़िता को दो सप्ताह में सम्बन्धित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना है।
 - (2)मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता को आयु सम्बन्धी परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष भेजना व द०प्र0सं0 की धारा 164 व विवेचक द्वारा 161 का बयान दर्ज करना ।
 - (3)इसके अतिरिक्त आति (याची) द्वारा 50000-00 रूपया राष्ट्रीय बैक अथवा पोस्ट आफिस में पत्नी के पक्ष[ि]में फिक्स डिपाजिट करना तथा उक्त फिक्स डिपाजिट पर पृष्ठाँकित कराना कि उक्त धनराशि 03 वर्ष से पूर्व वापस नहीं दी जा सकती है।
- सामान्यतः विवेचनाधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट व द०प्र०सं० की धारा 161 व 164 के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है तथा न्यायालय के फिक्स डिपाजिट करने के आदेश की अवहेलना की जा रही है।
- अत: निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/विवेचकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे संदर्भित प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक-यथोपरि ।

Marie Care a restriction

(देवराज नागर/ 3-12.13

पलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश।

AKHILESH SINGH Y GOVERNMENT ADVOCATE

HIGH COURT ALLAHABAD

DEC-09-2013 17:09 From:GOVT ADV.HIGHCOURT



DS-595/4, DRUMMOND ROAD COLONY

ALLAHABAD

(Resi): (0532) - 2466775 (Off.) : (0532) - 2421294

(Fax): (0532) - 2622063 固

(Mob): 08004928590

फैक्स सन्देश/मा० न्यायालय से संबंधित

सेवा में

1) प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

🗸 2) पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0, लखनऊ।

विषयः भारतीय दण्ड संहिता की घारा-363, 366 जैसे महत्वपूर्ण मामले में विवेचकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

सामान्यतः मा० उच्च न्यायालय में बहरा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि भावदवस्व की धारा-363 व 366 जैसे महत्वपूर्ण मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को नजरअंदाज करके विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाता है:--

न्यायालय द्वारा पीड़िता को दो सप्ताह में संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता को आयु सम्बन्धी परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रामक्ष भेजना व द0प्र0सं0 की धारा-164 व विवेचक द्वारा 161 का बंगान दर्ज करना

इसके अतिरिक्त पति (याची) द्वारा 50 हजार रूपये राष्ट्रीय बैंक अथवा पोस्ट आफिस में पत्नी के पक्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट करना तथा उक्त फिक्स्ड डिपॉजिट पर यह पृष्ठांकित कराना कि उक्त धनराशि तीन साल के पहले वापस नहीं ली जा सकती है।

सामान्यतः विवेचकों के द्वारा ऐसे प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट व ववप्रवसंव धारा-161 व 164 के आधार 12/13 पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है तथा न्यायालय के फिक्स्ड डिपाजिट करने के आदेश की अनदेखी की जा रही है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रदेश के समस्त उच्चाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश पालन करने के उपरान्त ही विवेचना को अन्तिम रूप से निस्तारित करें।

उदाहरण स्वरूप रिट याचिका सं0-20552/2013 (श्रीमती रेशा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य), मु०अ०सं०-519/2013, नोंट:--घारा~363, 366, 504, 506 माठद0संठ व घारा-3(1)10 एस०सी० / एस०टी० एक्ट, थाना महुली, जिला संतकबीर नगर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दिनांक 22.10.2013 व 03.12.2013 को पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

संलग्नकः यथोक्त दो (2)।

(अखिलेश सिंह) शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

Court No. - 55

Case: - CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 20552 of 2013

Petitioner: Smt. Resha & 2 Others Respondent: State Of U.P. & 3 Others Counsel for Petitioner: Swapnil Srivastava Counsel for Respondent: Govt. Advocate

Hon ble Surendra Singh.J. Hon ble Naheed Ara Moonis,J.

Heard learned counsel for the petitioners and the learned A.G.A.

Learned A.G.A has accepted notice on behalf of respondent nos. 1, 2 & 3.

Issue notice to respondent no. 4 fixing 03.12.2013.

Petitioners to take steps to serve the notice on respondent No. 4 by registered post as well as speed post within three days from today. Office shall send the notice to said respondent within 24 hours thereafter.

Petitioner nos.1 and 2, namely, Smt. Resha and Pintu are present in this Court and they have been identified by their lawyer. Sri Swapnil Srivastava, learned counsel for the petitioners states that she has voluntarily married with petitioner no. 2 out of her own sweet will and is living with him without any coercion and compulsion.

In the writ petition, it is mentioned that wife-petitioner is major, but no reliable proof regarding her age has been annexed with the petition. However, from her physical appearance, she appears to be major and understands her well-being and also is capable of considering her future welfare. Indisputably, their marriage has not been registered till date in terms of the direction issued by the Hon'ble Apex Court in Smt. Seema vs. Ashwani Kumar, 2006 (2) SCC 578.

Since, there is no proof of age of Smt. Resha, wife-petitioner as no school certificate is available, we direct her to appear before the Chief Judicial Magistrate concerned within two weeks from today, who shall get her medical examination done within a week thereafter by the CMO concerned to ascertain her age. The age certificate will contain self attested photograph of Smt. Resha, wife-petitioner. Thereupon, the I.O. concerned shall record her statement under section 161 Cr.P.C. and also move an application before the C.J.M. concerned for getting her statement recorded under Section 164 Cr.P.C., who shall record the same.

Photostat copies of the aforesaid statements along with medical report shall be forwarded to this Court within a week thereafter.

Sri Swapnil Srivastava, learned counsel for the petitioners submits that the husband-petitioner expresses his willingness to deposit such reasonable amount as may be directed by this Court in a Nationalized Bank/ Post Office in the Fixed Deposit Account exclusively in the name of the wife-petitioner.

It is accordingly provided that husband-petitioner shall put an amount of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) in a nationalized bank/post office in the form of fixed deposit for a period of not less than three years within one month in the exclusive name of the wife-petitioner on or before the next date and shall file the photostat copy of the fixed deposit receipt along with supplementary affidavit. The amount so deposited shall not be withdrawn before its maturity under any circumstances except with the leave of this Court. The concerned bank/post office shall be instructed by the depositor (husband-petitioner) to make a specific note in the record as well as the fixed deposit receipt that the same shall not be encashed before maturity except with the leave of the Court.

List this case on 03.12.2013 before the appropriate Bench.

In the meantime, the petitioners shall get their marriage registered in accordance with law.

Till then, the arrest of the petitioners, namely, Smt. Resha, Pintu and Rajendra Prasad in Case Crime No. 519 of 2013, under Sections 363, 366, 504, 506 L.P.C. & 3(1)X SC/ST Act, Police Station Mahuli, District Sant Kabir Nagar shall remain stayed.

Order Date: - 22.10.2013 Mukesh Kr.

Court No. - 55

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 20552 of 2013

Pctitioner: - Smt. Resha & 2 Others
Respondent: - State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner: - Swapnil Srivastava
Counsel for Respondent: - Govt. Advocate

Hon'ble Surendra Singh, J. Hon'ble Naheed Ara Moonis, J.

Learned counsel for the petitioners prays for and is granted two weeks' time to file affidavit of compliance of the order dated 22,10,2013.

As prayed, list this case on 17.12.2013.

On that date learned A.G.A. shall apprise the Court under what circumstances the I.O. has submitted the report under Section 173 Cr.P.C. without getting the order passed by this Court dated 22.10.2013, complied.

Till the next date of listing interim order, if any, shall remain in operation.

Order Date :- 3.12.2013 Mt/

